न्यायालय तहसीलदार सरदारशहर

पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सिंह RTS सरदारशहर

प्र0सं. 01/2022 अन्तर्गत भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91

सरकार **बनाम** रोहिताश पुत्र श्री कानाराम जाति जाट निवासी ग्राम भैंरूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू।

:–निर्णय:–

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का काकलासर ने रिपोर्ट पेश कर अंकित किया कि **रोहिताश पुत्र श्री कानाराम जाति जाट निवासी ग्राम भैंरूसर तहसील सरदारशहर जिला चूरू** द्वारा रोही मौजा भैंरूसर के खसरा नं0 139 तादादी 0.2500 हैक्टे. गैर मुमकिन रास्ता में से 0.08 हैक्टे. भूमि पर नाजायज रूप से गेहूं व सरसों की काश्त कर अतिक्रमण किया गया है। जिसकी पुष्टि संबंधित हल्के के भू.अ.नि. द्वारा भी की गयी।

हमने पटवारी व भू.अ.नि. की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज किया। अप्रार्थी को धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया। नोटिस की अप्रार्थी के दादा को विधिवत तामील करवाई गयी। तामील की प्रति पत्रावली के सलंग्न है। नोटिस के प्रत्युतर में अप्रार्थी की ओर से अप्रार्थी की माता ने जवाब नोटिस प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार का रास्ता अवरूद्व नहीं कर रखा है तथा यह भी अंकित किया कि अप्रार्थी को साक्ष्य व सबूत पेश करने का अवसर दिया जावे जिससे मैं अप्रार्थी की ओर से अपना पक्ष रख सकूं। हमनें न्याय हित में अप्रार्थी को सबूत/साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु अवसर देकर पत्रावली में आगामी तारीख पेशी दिनांक 28.01.2022 मुकरर की। निर्धारित तारीख पेशी पर अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया।

हमने न्याय हित में अप्रार्थी को जवाब हेतु एक बार और अवसर देते हुए अंतिम अवसर दिया लेकिन इस बार भी निर्धारित तारीख पेशी दिनांक 11.02.2022 को भी अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। इसका आशय यह है कि अप्रार्थी कोई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत नहीं करना चाहता अपितु न्यायालय का बेवजह समय जाया करते हुए न्यायालय को भी गुमराह करने की कोशिश की जा रही है। अतः न्याय हित में साक्ष्य/ की कार्यवाही बंद की जाकर पत्रावली को निर्णय हेतु दिनांक 18.02.2022 में रखा गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh
Date: 2022.02.28 15:30:43 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार (राजस्व)
सरदारशहर (चूरू)

Scanned with CamScanner

पटवारी हल्का की रिपोर्ट और अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सारहीन जवाब से यह स्वतः सिद्ध होता है कि अप्रार्थी ने खसरा नं. 139 तादादी 0.2500 हैक्टे किस्म गै.मु.रास्ते की भूमि में से 0.08 हैक्टे. भूमि पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है जिसका अप्रार्थी को कोई विधिक अधिकार नहीं है। राजस्व रिकॉर्ड में अंकित गै.मुम. रास्ते पर अतिचार करना न्यायोचित नहीं है जिसके फलस्वरूप अप्रार्थी के विरूद्व नियमानुसार कठोरतम निर्णय पारित किया जाना उचित है जिससे भविष्य में कोई खातेदार गै.मुम. रास्ते पर अतिक्रमण न कर पाये।

हमने पत्रावली का अद्योपांत अध्ययन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट, भू.अ.नि. की जांच रिपोर्ट का सूक्ष्मता से अध्ययन किया। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अप्रार्थी का रोही मौजा भैंरूसर के खं.नं. 139 तादादी 0.2500 हैक्टे. गैर मुमकिन रास्ता की भूमि में से 0.08 हैक्टे. भूमि पर अनाधिकृत कब्जा है। राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने पर न्याय हित में अप्रार्थी के विरूद्व नियमानुसार कठोरतम कार्यवाही किया जाना न्यायसंगत है जिससे भविष्य में कोई अतिक्रमी राजकीय भूमि पर अतिचार न कर सके।

अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाकर अप्रार्थी पर आरोपित दोष सिद्ध होना पाये जाने पर अप्रार्थी को भू.राजस्व का 50 गुणा अर्थात् 05 रू. तावान के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। हल्का पटवारी तावान राशि कायम कर अप्रार्थी से वसूल कर राजकोष में जमा करवायें। भू.अ.नि. वृत पूलासर को आदेशित किया जाता है कि मौके पर खड़ी फसल को कुर्क कर बहक सरकार लिया जाकर निलामी की कार्यवाही कर निलामी राशि राजकोष में जमा करवाई जावें तथा अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करे।

पत्रावली निर्णय में शुमार की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें। निर्णय आज दिनांक 18.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh
Date: 2022.02.28 15:00:43 IST
Reason: SelfAttested

(हनुमान सिंह)
तहसीलदार
सरदारशहर

तहसीलदार (राजस्व)
सरदारशहर (चूरू)

Scanned with CamScanner